PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Thursday 16th October 2014, Page: 8
Width: 4.32 cms, Height: 9.31 cms, a4, Ref: pmin.2014-10-16.50.53

108 दवाओं का मूल्य नहीं बदलेगा

नई दिल्ली (व.सं.)। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने हाईकोर्ट को बताया है कि सरकार के हाल के आदेश के बावजूद 108 दवाओं की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सितंबर में दवा मूल्य निर्धारण के लिए एनपीपीए को अधिकार देने संबंधी दिशा-निर्देश को वापस ले लिया था।

चीफ जस्टिस जी . रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ के समक्ष एनपीपीए ने कहा कि केंद्र सरकार का आदेश उसके 10 जुलाई के आदेश के रास्ते में बाधक नहीं बनेगा जिसके तहत 108 दवाओं की कीमतें तय की गईं। इन दवाइयों का मधुमेह, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होता है।